

|                                                                                                   |                                                                                                       |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                            | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                               | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | कार्तिक 21, बुधवार, शाके 1947- नवम्बर 12, 2025<br>Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025 |                                                  |

भाग-1(ख)

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**गृह(गुप-9) विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, अक्टूबर 30, 2025**

**संख्या प. 29(3) गृह/आपात/ 71** :-यतः मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प. 29(3) गृह/आपात/71 दिनांक 06.02.2025, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-1 (ख) में दिनांक 10.02.2025 को किया गया था, में वर्णित क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें दिनांक 01 दिसम्बर 2026 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विती हेतु बलवन्ता फील्ड फायरिंग रेंज, नसीराबाद को फायरिंग रेंज हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

यतः उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा फायरिंग रेंज हेतु, विज्ञप्ति क्रमांक प. 29(3) गृह/आपात/71 दिनांक 23.05.2025, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-1 (ख) में दिनांक 28.05.2025 को किया गया था, में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र में या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में चांदमारी तथा तोपखाने का अभ्यास अधिकृत करने हेतु विज्ञप्ति जारी करने का आशय विज्ञापित किया गया था।

अतः अब मैन्यूवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे बताए गये सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में दिनांक 01 दिसम्बर 2026 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विती हेतु अधिकृत करती है तथा उक्त क्षेत्र को भविष्य में बलवन्ता फील्ड फायरिंग रेंज, नसीराबाद के नाम से जाना जाएगा।

**क्षेत्र का विवरण**

| क्र.सं. | ग्राम का नाम/स्थान       | खसरा नं. | रकबा   | सीमाएं                                                             | कुल भूमि/क्षेत्रफल | अन्य विवरण                            |
|---------|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1       | जाटिया ग्राम की कुल भूमि | 1        | 60.87  | ग्राम जाटिया के पूर्वी सीमा के हाल ख.नं. 5, 6, 7, 8, 9 के लगते हुए |                    | वन विभाग (प्रतिबन्धित क्षेत्र)        |
|         |                          | 2        | 8.55   |                                                                    |                    |                                       |
|         |                          | 3        | 17.05  |                                                                    |                    | 643 बीघा                              |
|         |                          | 4        | 17.05  |                                                                    |                    |                                       |
|         |                          | किता 04  | 103.52 |                                                                    |                    |                                       |
|         |                          | 02/3286  | 32.37  |                                                                    |                    | वन विभाग चरागाह (प्रतिबन्धित क्षेत्र) |
|         |                          | 07/3283  | 12.14  |                                                                    |                    |                                       |

|   |                           |                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |        |                                                                  |
|---|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|   |                           | किता 02                                               | 44.51                                                     |                                                                                                                                                   |        | 279 बीघा                                                         |
|   | कुल किता                  | 06                                                    | 148.03                                                    |                                                                                                                                                   | 148.03 | 922 बीघा                                                         |
| 2 | बलवन्ता ग्राम की कुल भूमि | 1<br>2<br>2/2711<br>4/2710<br>119<br>3/2707<br>3/2708 | 149.25<br>89.41<br>38.50<br>1.50<br>40.04<br>0.69<br>1.98 | ग्राम बलवन्ता की पूर्वी सीमा के नवीन ख.नं. 2967/5, 2968/5, 2954/6, 2955/6, 2956/6, 8, 85, 120, 121, 122, 125, 114, 115, 116, 113, 126 के लगते हुए |        | वन विभाग (फील्ड फायरिंग रेंज व प्रतिबन्धित क्षेत्र)              |
|   |                           | किता 7                                                | 321.37                                                    |                                                                                                                                                   |        | 2011 बीघा                                                        |
|   |                           | 119/2714<br>4/2709                                    | 27.49<br>7.12                                             |                                                                                                                                                   |        | सार्वजनिक चरागाह प्रतिबन्धित क्षेत्र                             |
|   |                           | किता 2                                                | 34.61                                                     |                                                                                                                                                   |        | 216 बीघा                                                         |
|   |                           | 1/2801<br>3/2799<br>4/2800<br>4/2706                  | 0.35<br>0.07<br>0.07<br>3.60                              |                                                                                                                                                   |        | अजमेर विकास प्राधिकरण (फील्ड फायरिंग रेंज व प्रतिबन्धित क्षेत्र) |
|   |                           | किता 4                                                | 4.09                                                      |                                                                                                                                                   |        | 26 बीघा                                                          |
|   | कुल किता                  | 13                                                    | 360.07                                                    |                                                                                                                                                   | 360.07 | 2253 बीघा                                                        |
| 3 | कुल भूमि                  | किता 19                                               | 508.10                                                    |                                                                                                                                                   |        | 3175 बीघा                                                        |

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
महेश कुमार शर्मा,  
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।